भाग एक : खण् ड तैरह

मध् यूदेश कां ठ िचरान (िविनयमन) िनयम, 1984

मध् य ू देश शासन, वन िवभाग, अिधसूचना ब. 30-182 दस-3 िदनांक 18-7-84 (म.ू. राजपS, असाधारण िदनांक 25-7-84 पृष्ठ 1909-1931 में ूकािशत)

मध् य ूदेश कां ठ िचरान (िविनयमन) अिधनियम, 1984 (ब. 13 वषर् 1984) की धारा 22 द्वारा ूदत् त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए, राज् य शासन, एतद्द्वारा िनम् निलिखत िनमय, जो िक उक् त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेिआज्ञत िकये गए अनुसार पूवर् में ूकािशत िकये गए हैं, बनता है; अथार्त् -

िनयम

1. संिक्षप् त नाम - इन िनयमों का संिक्षप् त नाम "मध् य ूदेश कां ठ िचरान (िविनयमन) िनयम, 1984" है।

2. पिरभाषाएँ - इन िनयमों में जब तक सन् दभर् से अन् यथा अपेिक्षत न हों-

(क) "अिधनियम" से अिभूेत है 'कां ठ िचरान (िविनयमन) अिधनियम, 1984 (बमांक 13, वषर् 1984)'

(ख) "खण् ड वन अिधकारी" से अिभूेत है क्षेSीय वन खण् ड (Forest Division) का भारसाधक अिधकारी।

(ग) "ूारूप" से अिभूेत है इन िनयमों से संलग् न ूारूप।

(घ) "धारा" से अिभूेत है अिधनियम का धारा।

3. अनुज्ञिप्त के िलये आवेदन

(1) कोई भी व् यिक्त धारा 4 के अधीन िकसी आरा िमल या आरा गड्ढे की ः थापना करने के िलए या ऐसी आरा िमल या आरा गड्ढे की जो िनयम िदन को अिःतत् व में हो, चलाने के िलए अनुज्ञिप्त अिभूािप्त करने हेतु अनुज्ञापन अिधकारी को आवेदन करेगा।

(2) आरा िमल या आरा गड्ढे की ः थापना के िलए आवेदन ूारूप "क" में होगा और िकसी ऐसी आरा िमल या गड्ढे को, जो िनयत िदन को अिःतत् व में हो, चलाने के िलये आवेदन ूारूप "ख" में होगा। ऐसे आवेदन पS का ूारूप सम् बिन्धत अनुज्ञापन अिधकारी के कायार्लय से या िकसी अन् य अनुज्ञापन अिधकारी से ूाप् त िकया जा सकेगा।

(3) आरा िमल या आरा गड्ढे की अनुज्ञिप्त की मन् जूरी हेतु ूत् येक आवेदन के िलये अूत् यावणीर्य फीस (Non-refundable fees) बमशः [1]एक हजार पाँच सौ रूपये या सौ रुपये का भुगतान िकया जावेगा। वन िवभाग द्वारा धन के ूितमहण के िलये िविहत िनयमों के अनुसार रकम ऐसे वन खंड के लेखे में ये होगी, िजसमें आरा िमल या आरा गड्ढा पिहले से संचािलत िकया जा रहा है या ः थािपत िकये जाने हेतु ूः तािवत है। ूत् येक आरा िमल या आरा गड्ढे का अलग-अलग आवेदन करना अपेिक्षत है।

(4) (एक) आरा िमल या गड्ढे की अनुज्ञिप्त के िलये आवेदन, सभी ूकार से पूणर्तया िविहत आवेदन फीस सिम्मिलत करते हुए अनुज्ञापन अिधकारी को ूः तुत िकया जावेगा।

---

1. अिध. ब. 30-24-91-ड-3 िदनांक 29.3.93 से िनयम (तीन) में पाँच सौ रुपये या पचास रुपये के ःथान पर रुपये एक हजार पाँच सौ तथा सौ रुपये ूितः थािपत। म.ू. राजपS िदनांक 30.3.93 पृष्ठ 155 पर ूकािशत।

(दो) िकसी भी व् यिक्त को, िकसी अन् य व् यिक्त या िकसी कम् पनी की ओर से आवेदन करने के िलए तब तक अनुज्ञात (Allowed) नहीं िकया जावेगा जब तक िक वह ऐसे व् यिक्त या कम् पनी द्वारा उसके या उनकी ओर से कायर् करने के िलए उसे सशक् त करते हुए िनं पािदत िकये हुए मुख् तारनामें (Power of attorney) की एक ू ित आवेदन के साथ संलग् न न कर दी हो तथा उसकी (मुख् तारनामा) (Power of Attorney) मूल ूित या उस कम् पनी का िजसका वह भागीदार होने का दावा करता है, रिजःशीकरण ू माण-पS(Certificate of Registration) अनुज्ञापन अिधकारी के समक्ष ूः तुत न कर दें।

(तीन) कोई सहकारी सोसायटी इस सम् बन् ध में पािरत संकल् प (Resolution) की सम् यक् रूप से ूमािणत एक ूित संलग् न करके आवेदन पS ूः तुत कर सकेगी :

परन् तु संकल् प की ऐसी ूमािणत ूित (Certified Copy)सरकार के ः वािमत् व केिनगम केमामले में आपेिक्षत नहीं होगी।

(5) ऐसे ूत् येक आवेदन पS के साथ कोषागार का चालान संलग् न िकया जावेगा, िजसमें आरा िमल के िलये अिमम ूितभूित के िनक्षेप के रूप में (राजः व िनक्षेप) (Revenue Deposit) के अधीनएक हजार रुपये का नगद िनक्षेप सम् बिन्धत अनुज्ञापन अिधकारी के पद नाम से िकया गया दशार्या गया हो। राजः व िनक्षेप के िलये चालान भी अनुज्ञापन अिधकारी के कायार्लय से अिभूाप् त िकया जा सकेगा।

(6) अनुज्ञिप्त मंजूर करने के इन् कार करते समय अनुज्ञापन अिधकारी अन् य िकसी बात के अितिरक् त

िनम् निलिखत बातों पर भी िवचार करेगा जो उसकी राज में अनुज्ञिप्त मन् जूर करने से इन् कार करने को न् यायोिजत ठहरती है-

(एक) क् या आरा िमल या आरा गड्ढे का ः थान िनकटतम सरकारी वन की ऐसी सीमाओं के भीतर है जैसी िक राज् य सरकार द्वारा िविहत की गई है।

(दो) क् या क्षेऽ में िचराई के ूयोजन के िलए कां ठ की उपलब् धता, नवीन आरा िमल या आरा गड्ढे की ः थापना की आवँ कता के िलए पिहले से पयार्प् त नहीं हैं।

(तीन) क् या आरा िमल या आरा गड्ढे की ः थापना से वृक्षों की अवैध कटाई पिहले से ही हो रही है या भिवं य में होने की सम् भावना है, तथा यह वन एंव पयार्वरण (Environment) के संरक्षण व सुरक्षा के िवपरीत होगी।

(चार) क् या इस अनुज्ञिप्त के िलए आवेदन करने वाला व् यिक्त या कम् पनी गम् भीर ूकृित के वन अपराधों की दोषी पाई गई हैं।

4. अनुज्ञिप्त की मंजूरी - (1) अनुज्ञापन अिधकारी ूारूप "ग" में अनुज्ञिप्त मन् जूर करेगा। (2) अनुज्ञिप्त िनम् निलिखत शतोर्ं के अध् यधीन रहते हुए होगी :

(क) आरा िमल या आरा गड्ढों में िचराई की कायर् सूयार्ः त के पँ चात् या सूयोर्दय के पूवर् नहीं िकया जावेगा जब तक िक अनुज्ञापन अिधकारी द्वारा िलिखत में अनुज्ञात न िकया गया हो।

(ख) ऊपर खण् ड (क) के अधीन मन् जूर की गई अनुज्ञिप्त तथा अनुज्ञा की ूमािणत ूितयाँ आरा िमल या आरा गड्ढों में ूमुख ः थान पर सम् ूदिशर्त (Displayed) की जावेगी।

(ग) िचराई तथा व् ययन (Disposal) के िलए संमिहत िकये गये कां ठ का तारीख वार लेखा इस ू योजन के िलये िनयम (6) के उप िनयम (1) में िविहत िकये गये ूारूप में रखा जावेगा।(घ) केवल िचराई के िलये ूाप् त कां ठ का आगम, िचराई तथा व् ययन का मािसक लेखा, इस ूयोजन के िलये िनयम 6 के उपिनयम 2 में िविहत िकये गये ूारूप में रखा जावेगा।

(ङ) लेखाओं के रिजः टर, अनुज्ञापन अिधकारी के या उसके द्वारा ूािधकृत िकसी अन् य अिधकारी के समक्ष, यिद ऐसी अपेक्षा की जावे, िनरीक्षण के िलए ूः तुत िकये जावेंगे।

(च) यिद अनुज्ञिप्तधारी (Licence) या आरा िमल या आरा गड्ढे के संचालन के भारसाधक व् यिक्त के पास यह िवँ वास करने का कारण हो िक आरा िमल या आरा गड्ढे के िलये लाया या कां ठ अवैध है, तो वह यथा संभव शीय िनकटतम रेन् ज ऑिफसर को ऐसी अवैध कां ठ के आगम की सूचना देगा तथा ऐसी कां ठ की िचराई नहीं की जावेगी।

(छ) आरा िमल या आरा गड्ढे के िवः तार (Expansion) या उसका ः थान पिरवतर्न अनुज्ञापन अिधकारी की िलिखत अनुज्ञा (Permission) के िबना नहीं िकया जावेगा।

(3) अनुज्ञिप्त 1तीन कैलेन् डर वषर् तक, िजसके िलये वह जारी की गई, िविधमान् य होगी।

(4) अनुज्ञापन अिधकारी, आवेदक की अनुज्ञिप्त मन् जूर करने के पूवर्, उसे शतोर्ं की ू ित, िजसके अधीन अनुज्ञिप्त मंजूर की जा रही है, और लेखे रखने के ूारूपों की ूितयाँ, िजसमें िचरान के िलए कां ठ आगम, िचरान तथा व् ययन के लेखे रखे जावेंगे, िदखावेगा। अनुज्ञापन अिधकारी, इस शतोर्ं को आवेदक, यिद वह पढ़ने में असमथर् है, तो समक्ष पढ़ेगा और ूारूप की िवषय वः तु को समझावेगा। अनुज्ञापन अिधकारी, इन शतोर्ं की ः वीकृित के रूप में आवेदक के हः ताक्षर या अँगूठे के िनशान जैसी भी िःथित हो, अिभूाप् त करेगा। शतोर्ं तथा ूारूपों की एक-एक ूित, िजनमें लेखे रखें जावेंगे, आवेदक को ूदाय की जावेगी।

(5) यिद अनुज्ञिप्त खो जाये या िवबत हो जावे तो ूत् येक अनुज्ञिप्त के िलये दस रुपये तक भुगतान पर उसकी एक ूमािणत ूित अनुज्ञापन अिधकारी से अिभूाप् त की जा सकेगी।

5. अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण -

(1) ू त् येक अनुज्ञिप्तधारी, अनुज्ञापन अिधकारी, को, उस कैलण् डर वषर् के, िजसके िलये अनुज्ञिप्त िविधमान् य है, समाप् त होने के कम से कम एक मास पूवर् नवीनीकरण के िलये आवेदन करेगा।(2) आरा िमल के िलये, अनुज्ञिप्त के नवीनीकरण हेतु आवेदन फीस सौ रूपये होगी और आरा गड्ढे की दस रुपये होगी।

(3) अनुज्ञापन अिधकारी, ऐसी जाँच के पँ चात् जैसी िक वह उिचत समझे, अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण कर सकेगा या उसमें संिक्षप् त कारण दशार्ते हुए िलिखत में आदेश द्वारा अनुज्ञिप्त का नवीनीकरण करने से इन् कार कर सकेगा:

परन् तु अनुज्ञिप्त के नवीनीकरण के िलये इन् कार का कोई आदेश तब तक पािरत नहीं िकया जायेगा जब तक िक आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे िदया गया हो।

(4) अनुज्ञिप्त केवल एक कैलेण् डर वषर् के िलए नवीकृत की जायेगी। परन् तु उस कालाविध के सम् बन् ध में, िजसके दौरान अनुज्ञिप्त के नवीनीकरण के िलये आवेदन िवचाराथर् लिम्बत हो या समझा जावेगा मानो िक ऐसी अनुज्ञिप्त अिधनयम के अधीन नवीकृत कर दी गई थी और अनुज्ञिप्तधारी आरा िमल या आरा गड्ढे का तद्नुसार चला रहा था।

(5) अनुज्ञिप्त उन् हीं शतोर्ं पर नवीकृत की जावेगी िजन शतोर्ं पर वह मंजूर की गई थी। परन् तु जब तक ूितकूल कारण न हो अनुज्ञिप्त सामान् य: नवीकृत की जावेगी।

6. िववरणी ूः तुत करना -

(1) अनुज्ञिप्तधारी िचराई तथा व् ययन के िलए तारीख वार बय िकये गये कां ठ का एक रिजः टर ू ारूप घ-1 में रखेगा।

(2) अनुज्ञिप्तधारी केवल िचराई के िलए ूाप् त कां ठ के आगम(Receipt) िचराई(Sawing) और व् ययन (Disposal) के माहवारी लेखे का एक रिजः टर ूारूप "घ-2" में रखेगा।

(3) अनुज्ञिप्तधारी इन लेखाओं की िववरणी, आगामी मास की दस तारीख तक सम् बिन्धत पिरक्षेS अिधकारी तथा अनुज्ञापन अिधकारी को ूारूप घ-3 में ूः तुत करेगा।

7. िवद्‌युत संयोजन (Electric Connection) ूिप्तं ठापन (Installation) - अनुज्ञापन अिधकारी उन व् यिक्तयों को, िजन् होंने पहले से ही ः थािपत आरा िमलों को चलाने के िलए या नई आरा िमलों को ः थािपत करने तथा चलाने के िलए अनुज्ञिप्त अिभूाप् त की है, आरा िमलों के नाम के साथ एवं सूची मध् य ूदेश िवद्‌युत मंडल के सम् बिन्धत ूभागीय इन् जीिनयर (Divisional Engineer) को देगा। अनुज्ञापन अिधकारी, उन व् यिक्तयों की, जो िविधमान् य अनुज्ञिप्त के िबना आरा िमल को चला रहा है या िजनकी अनु ज्ञिप्त या तो ूितसंहत कर ली गई है या िनलिम्बत कर दी गई है, आरा िमलों के नाम के साथ एक सूची भी (संभागीय अिधकारी, िवद्‌युत मंडल को) देगा। जैसे ही अनुज्ञापन अिधकारी की जानकारी में यह आता है िक कोई व् यिक्त मान् य अनुज्ञिप्त के िबना आरा िमल चला रहा है तो वह उस व् यिक्त का नाम तथा साथ ही आरा िमल का नाम और उसकी िःथित मध् य ूदेश िवद्‌युत मंडल के सम् बिन्धत ूभागीय इन् जीिनयर को सूिचत करेगा।

(2) मध् य ूदेश िवद्‌युत मंडल का ूभागीय इन् जीिनयर यह सुिनिश्चत करेगा िक केवल वे ही आरा िमलें, िजनके ः वामी सम् बिन्धत अनुज्ञापन अिधकारी से अिभूाप् त िविधमान् य अनुज्ञिप्त के अधीन उन् हें चला रहे हैं िवद्‌युत ऊजार् का उपयोग कर रही हैं।

(3) मध् य ूदेश िवद्‌युत मंडल का ूभागीय इन् जीिनयर या तो इस सम् बन् ध में उसे िनदेर्श देने पर या अन् यथा, िक कोई आरा िमल िविधमान् य अनुज्ञिप्त के िबना चलाई जा रही है, ऐसा आरा िमल को िवद्‌युत ऊजार् बन् द करने के िलए तुरन् त कदम उठावेगा।

(4) जहाँ िविधमान् य अनुज्ञिप्त के िबना चलाई जा रही आरा िमल िवद्‌युत ऊजार् का उपभोग िचराई ूयोजनों से िभन् न अन् य ूयोजन के िलये भी िकया जा रहा हो, वहाँ ऊजार् का ूदाय उस समय तक के िलये बन् द रहेगा, जब तक िक िमल का ः वामी िविधमान् य अनुज्ञिप्त ूाप् त न कर ले या आरा िमल को चलाने हेतु उपयोग में लाये जा रहे सािधSों (Plants), मशीनरी तथा उपः करों (Implements) का व् ययन (Disposal) न कर दें।

8. ूािधकारी िजसे अपील की जायेगी - अिधिनयम की धारा 11 के अधीन अपील सम् बिन्धत क्षेSीय वन वृत् त के वन संरक्षक को की जावेगी। ू

ारूप "क"
(िनयम 3 (2) देिखये)

नई आरा िमल/आरा गड्ढा ः थािपत करने तथा चलाने के िलये अनुज्ञिप्त मंजूर करने हेतु आवेदन।

1. आवेदक तथा उसके िपता का पूरा नाम ....
(कम् पनी के मामले में भागीदारों तथा कम् पनी
की और से कायर् करने के िलये मुख् यतारनामा
धारण करने वाले व् यिक्तयों के नाम दीिजए)
2. व् यवसाय ....
3. पूरा पता ....
4. आरा िमल/आरा गड्ढे की ूः ताि वत िःथित ....
(िःथित का मानिचS भी संलग् न िकया जावे) ....
5. क् या आवेदक पूवर् से ही आरा िमल/आरा गड्ढे
का ः वािमत् व रखता हो तथा चला रहा है ....
6. यिद (5) का उत् तर "हाँ" है तो आरा िमल,
आरा गड्ढे के बयौरे दीिजये : ....
(क) आरा मशीन का मेक तथा वषर् ....
(ख) आरा मशीन का बमांक ....
(ग) गितदायी शिक्त (Motive Force) तथा अँ व शिक्त .... (घ)
मािसक क्षमता (Monthly Capacity) ....
(ङ)कोई अन् य जानकारी ....
7. ः थािपत की जाने वाली आरा िमल/आरा गड्ढे ....

की मा िसक क्षमता
8. कां ठ की सामान् य जा ितयाँ िजनकी िचराई की जावेगी .... 9. ॐ ोत जहाँ से कां ठ अिभूाप् त िकया जावेगा ....
10. कालाविध िजसमें आरा िमल के ब् यौरे/आरा गड्ढा ः था िपत िकया जायेगा ....
11. ः था िपत की जाने वाली आरा िमल के बयौरे ....
(क) आरा मशीनों की संख् या ....
(ख) गितदायी शिक्त तथा अँ व शिक्त ....
(ग) अन् य कोई जानकारी ....
12. कोई अन् य िबया-कलाप जो आरा िमल/आरा गड्ढे में िकया जाना ूः ता िवत है ....
13. आवेदन फीस के भुगतान का िववरण .... 14. ू ितभू ित िनक्षेप के भुगतान का िववरण ....

ारूप "ख"
(िनयम 3 (2) दे िखये)

पहले से ः था िपत आरा िमल/गड्ढे को चलाने के िलए अनुज्ञिप्त मंजूर करने हेतु आवेदन

1. आवेदक तथा उसके िपता का पूरा नाम ....
(कम् पनी के मामले में भागीदारों तथा कम् पनी की और से कायर् करने के िलये मुख् यतारनामा धारण करने वाले व् यिक्तयों के नाम दी िजए)
2. व् यवसाय ....
3. पूरा पता ....
4. आरा िमल/आरा गड्ढे की ि ःथित का ब् यौरा आरा िमल/आरा गड्ढे की अवि ःथित का मानिचऽ तथा रेखा िचऽ भी संलग् न िकया जावे।
5. आरा गड्ढे के ब् यौरे दी िजये : ....
(क) आरा मशीन का मेक तथा वषर् ....
(ख) आरा मशीन का संख् या ....
(ग) िवद्युत या यािन्ऽक मोटर की अँ व शिक्त ....
(घ) गितदायी शिक्त का ूकार ....
(ङ) अन् य कोई जानकारी ....
6. आरा िमल/आरा गड्ढे की मा िसक क्षमता ....
7. कां ठ की ूजा ितयाँ िजनकी सामान् यत: िचराई की जाती है। .... 8. ॐ ोत जहाँ से कां ठ अिभूाप् त िकया जाना है ....
9. िचराई के अलावा अन् य कायर्-कलाप जो आरा िमल/आरागड्ढे में िकया जाता है ....
10. िकसी अन् य आरा िमल/आरा गड्ढे के ब् यौरे िजसके िलये पहले ही अनुज्ञिप्त अिभूाप् त की है या िजसके िलये आवेदन िकया गया है ....
11. आवेदन फीस के भुगतान का िववरण ....
12. ू ितभू ित िनक्षेप के भुगतान का िववरण ....

घोषणा

मैं/हम .... एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं िक मैंने/हमने मध् यूदेश कां ठ िचरान (िविनयमन) अिधनियम, 1984 तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों के उपबन् धों को पढ़ िलया है तथा समझ िलया है और मैं/हम उसका पालन करने हेतु सहमत हूँ/हैं/िदनांक (आवेदक के हः ताक्षर)

ूारूप "ग"
(िनयम 4 (1) दे िखये)

ः था िपत आरा िमल को चलाने एवं नवीनकरण के िलये तथा नई आरा िमल ः था िपत करने तथा चलाने के िलए :

1. आवेदक का नाम, तथा उसके िपता का नाम ....

(कम् पनी के मामले में भागीदारों तथा मुख्तारनामा
धारण करने वाले व् यिक्तयों के नाम िदये जावें)
2. व् यवसाय ....
3. पूरा पता ....
4. आरा िमल की िःथित के ब् यौरे ....
5. भूिम की िविधक ूािःथित और भूिम के ः वािमत्व
िजस पर आरा िमल ः थािपत है या
ः थािपत करना ूः तािवत है ....
6. आरा िमल के ब् यौरे ....
(क) िचराई मशीन का मेक तथा वषर् ....
(ख) िचराई मशीन की संख् या ....
(ग) गितदायी शिक्त का ूकार तथा अँ वशिक्त ....
7. आरा िमल की मािसक क्षमता ....
8. कां ठ की जाित िजसकी सामान् यत: िचराई की जानी है ....
9. वह कालाविध िजसमें आरा िमल
ः थािपत िकया जावेगा ....
10. िचराई से िभन् न अन् य िबया-कलाप जो आरा
िमल
में िकया जावेंगे ....
11. वह कालाविध िजसके िलये अनुज्ञिप्त मंजूर/नवीकृत
की जा रही है ....

ः थान .... (अनुज्ञापन अिधकारी का नाम)
िदनांक .... पद सील
(कायार्लय की मुिा)

िटप् पणी 1. वे शतेर्ं िजनके अधीन अनुज्ञिप्त मंजूर की जा रही है और ूारूप िजनके लेखे रखे जावेंगे, अनुज्ञिप्तधारी को दे िदये गये है और उनके बारे में उन् हें पूणर् रूप से समझा िदया गया है।
2. इसके ूतीक के ः वरूप अनुज्ञिप्तधारी के हः ताक्षर अभ्ूाप् त कर िलये गये हैं।

ूारूप "घ" - 1

बय की गई कां ठ की आवक तथा िनवतर्न का िदनांक .... से .... तक िववरण आरा मशीन/आरा गड्ढा का नाम .... ः थान .... पSक ूः तुतीकरण का िदनांक ....

ितमाही के पूवर् की माSा				वन िवभाग से ूाप् तकां ठका िववरण						अन् य ॐोतों से ूाप् त कां ठ					
जाित	लट्ठे घ.मी.	िचरान घ.मी.	िदनांक	पिरवहन अनुज्ञापS बमांक	िडपो का नाम	जाित	नग	लट्ठाघ.मी.	िचरान घ.मी.	िदनांक	पिरवहन	ूािप्त का ॐोत	जाित	नग	लट्ठा घ.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

कुल ूािप् त				िनवतर्न का िववरण						अवशेष माS					
मेड	िचरान	जाित	नग	लट्ठे घ.मी.	िचरान घ.मी	नग	लट्ठा घ.मी.	िचरान घ.मी.	नग	लट्ठाघ.मी.	िचरान घ.मी.	जाित	लट्ठा घ.मी.	िचरान घ.मी.	अन् य िववरण
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

1) इस फामर् में जानकारी िदनांक वार भरी जायेगी। मािलक या भागीदार के हः
ताक्षर 2) ूपS के अन् त में सभी कालम का योग लगाया जायेगा। नाम
.... िदनांक ....

ूारूप "घ" - 2

व् यिक्त/फमर् से केवल िचरान करने हेतु ूाप् त कां ठ का Sैमािसक िववरण
िदनांक .... से िदनांक .... तकआरा मशीन/आरा गड्ढा
का नाम ....िःथित ....

ारिम्भक माSा							ितमाही में ूाप् त माSा						
अनु.	जाित	नग	लट्ठे घ.मी.	िचरान घ.मी.	िदनाक	शािजट पास बमांक और िदनांक	कां ठलगाने वाले व् यिक्त का नाम	जाित	नग	लट्ठाघ.मी.	िचरान घ.मी.	जाित	न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
िदन में िचरान की गई माSा				कां ठके मािलक को दी गई माSा						िनवतर्न से शेष माSा			
लट्ठाघ.मी.	िचरान घ.मी.	जाित	नग	लट्ठे घ.मी.	ाप् त िचरान घ.मी	िबल ब. िदनाक या अन् य ूमाण	जाित	घन मीटर	जाित	नग	लट्ठाघ.मी.	िचरान घ.मी.	अन् िव ण
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	2

(1) यह ूपS िदनांकवार भरा जायेगा। मािलक/भागीदार के हः
ताक्षर (2) ितमाही के अन् त में सभी कालम का योग िकया जायेगा। नाम
.... िदनांक
....

ारूप "घ" - 3

.... मास के दौरान िचरान के िलए बय िकया या लाए गये कां ठ आवक तथा व् ययन का मािसक िववरण।

ारिम्भक ः टाक			बय की गई माSा केवल िचरान के िलए जाई गई माSा						योग		मास के दौरान िचरान की गई म	
जाित	लट्ठान ग	लट्ठाघ.मी.	िचरान घ.मी.	लट्ठाघ.मी.	घ.मी.	िचरान घ.मी.	लट्ठा नग	लट्ठाघ.मी.	लट्ठानग	लट्ठाघ.मी.	िचरान घ.मी.	लट्ठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
िवबय			अन् तजार्तीय		िचरान के बाद ः वमी को ूदत्				अितशेष		अभियुिक्तयाँ	
लट्ठाघ.मी.	ाप् त िचरान	ः थानीय लट्ठा नग	घ.मी.	िचरान घ.मी.	लट्ठा नग	लट्ठा घ.मी.	िचरान घ.मी.	िचरान घ.मी.	लट्ठान ग	घ.मी.	िचरान	िचरान घ.मी.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

_____ म.ू. राजपS (असाधारण) िद. 25.6.97, पृ. 1347-48 पर ूकािशत।